दिनांक 09 जनवरी, 2018 को श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :–

अ. **उपस्थिति :–**

समीक्षा बैठक में संलग्न उपस्थिति पत्रक के अनुसार अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

ब. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में हुए विचार–विमर्श तथा दिए गये निर्देशो का सार निम्नानुसार है :–

- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा विभागीय बजट आवंटन एवं व्यय की समीक्षा की गयी एवं संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, व शासन के अन्य उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि तुरन्त ही बजट में प्राविधानित अवशेष धनराशि को दिनांक 15 जनवरी 2018 तक प्रत्येक दशा में अवमुक्त कर दिया जाये तथा इसमें प्रगति में चल रहे पुलों को अधिकतम धनराशि निर्गत की जाय।
- एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 मद के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि समाज कल्याण विभाग में एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 मद में अन्य विभागों की यदि बचत होती है तो इसे पुनर्विनियोग कराकर, लोक निर्माण विभाग को टी0एस0पी0 में धनराशि दी जा सकती है। इसके लिए प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 द्वारा टी0एस0पी0 मद में 25करोड़ की अतिरिक्त मांग बतायी गयी। इस सम्बन्ध मे समाज कल्याण विभाग को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये गये।
- विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि डोबरा–चॉटी पुल में 72करोड़ के अवशेष के विरूद्ध कुछ बचत होगी। इसके विरूद्ध अन्य पुलों को आंवटन किया जाये।
- डोबरा चॉटी सेतु की निष्प्रयोज्य सामग्री का नीलामी हेतु प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है क्योंकि डोबरा–चॉटी के रस्से काफी मोटे है तथा उनका उपयोग बड़े पुलों पर ही हो सकता है तथा इतने बड़े पुलों की स्वीकृति वर्तमान में संभव नही हो पा रही है। अतः विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा उनकी नीलामी का निर्णय लिया जाना है। वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाये।
- अवगत कराया गया कि एन0एच0 74 पर सिडकुल द्वारा एन0एच0 हल्द्वानी को 2 करोड़ रूपये की धनराशि दी जानी चाहिये थी परन्तु उनके द्वारा यह धनराशि अभी तक नहीं दी गयी जिस कारण ठेकेदारों द्वारा लोक निर्माण विभाग पर मुकदमा दायर कर दिया गया। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सिडकुल को शीघ्र ही 2करोड़ निर्गत करने हेतु पत्र लिखा जाये। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पत्र अनुभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

- माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी के साथ हुई मा0मुख्यमंत्री जी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड को 500 करोड़ धनराशि की CRF के अन्तर्गत डी0पी0आर0 की स्वीकृति दे दी जायेगी। इस पर मुख्यनिर्देश दिये गये कि 500 करोड़ की डी0पी0आर0 MP constituency wise चयनित कर प्रस्ताव भेजा जाये तथा इसमें 15 प्रतिशत आगणन सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में हो।
- उत्तराखण्ड में Ring Roads के निर्माण में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गड़करी जी द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि अध्याप्ति का 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत धनराशि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन की जायेगी अतः काशीपुर, हल्द्वानी, देहरादून के बाईपास के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जायं।
- लोक निर्माण विभाग के बड़े कार्यों के लिए Third Party Quality Testing के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उच्च गुणवत्ता के परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी अनुबंधित कर ली जाय। यह एजेन्सी केवल उन्हीं कार्यो का Third Party Technical Audit करेगी जिसके लिये शासन से निर्देश प्राप्त होंगे।

(जीवन सिंह)
उप सचिव।

संख्या : 148 / III(3)/5(सामान्य)/2017 T.C. देहरादून, दिनांक 16 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग (अनुभाग–3), उत्तराखण्ड शासन।
2. तकनीकी परामर्शदाता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग (गढ़वाल क्षेत्र), लो.नि.वि., देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, पिथौरागढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
6. मुख्य अभियन्ता, हल्द्वानी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
7. मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
8. मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढ़वाल।
9. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग (कुमाऊ क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
10. मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

(जीवन सिंह)
उप सचिव।

दिनांक 09 जनवरी, 2018 को अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक का

उपस्थिति पत्रक

शासन स्तर पर :–

1. डा0 बी0 षणमुगम, अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री आर.पी. भट्ट, तकनीकी परामर्शदाता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री एच.के. उप्रेती, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री आर0सी0 पुरोहित, मुख्य अभियन्ता स्तर– 1 (मुख्यालय) ,लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. श्री हरि ओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग (गढ़वाल क्षेत्र), लो.नि.वि., देहरादून।
6. श्री सत्येन्द्र शर्मा, मुख्य अभियन्ता, पिथौरागढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
7. श्री बी0सी विनवाल, मुख्य अभियन्ता, हल्द्वानी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
8. श्री के0पी0 जोशी, मुख्य अभियन्ता, अल्मोड़ा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
9. श्री एस0एस0 टोलिया, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. श्री जी0एस0 पांगती, मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढ़वाल।
11. श्री अयाज अहमद, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग (कुमाऊ क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
12. श्री राजेन्द्र गोयल, मुख्य अभियन्ता, देहरादून क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
13. श्री प्रदीप मोहन नौटियाल, अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. श्री प्रदीप कुमार, अनुभाग अधिकारी, अनुभाग –2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15. श्री सुरेन्द्र दत्त बेलवाल, अनुभाग अधिकारी,अनुभाग–3, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16. श्री एन0एस0. नेगी, अनुभाग अधिकारी, अनुभाग –1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।